भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 446

जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है।

***

यमुना नदी के जल की हिस्सेदारी

446. श्री भागीरथ चौधरी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान पिछले कई वर्षों से यमुना नदी से अपने हिस्से के पानी की मांग कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने भी इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का अतिरिक्त वर्षा जल अर्थात् यमुना नदी के बाढ़ के पानी को नांगल चौधरी में तकनेट के रास्ते हरियाणा सीमा तक विपथित करने के लिए कोई प्रभावी कार्ययोजना बनाने का विचार है और यदि हां, तो उक्त योजना के कब तक तैयार होने की संभावना है;

(घ) क्या केंद्र सरकार का यमुना नदी के पानी को जवानपुरा बांध, शाहपुरा, रामगढ़ बांध, जामवारामगढ़, जामदाई बांध, जलाई बांध, आमेर, कलाख बांध, झोटवाड़ा, हिंगोनिया बांध, दूदू, निम्बार्क बांध, सलेमाबाद के साथ-साथ बनास और लूनी नदी में मोड़ने के लिए कोई ठोस योजना कार्यान्वित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)

(क) और (ख): उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के एनसीटी राज्यों नें दिल्ली में ओखला तक यमुना नदी के सतही बहाव के अबंटन से संबंधित दिनांक 12.05.1994 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उक्त समझौता ज्ञापन के अनुसार राजस्थान की हिस्सेदारी ओखला बैराज और तेजावाला हेड के माध्यम से 1.119 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है। ओखला बैराज से राजस्थान के हिस्से का यमुना का जल आगरा

केनाल, गुड़गांव केनाल और भरतपुर फीडर केनाल के माध्यम से ओखला बैराज में जल की उपलब्धता के अनुसार छोड़ा जाता है।

तेजेवाला हेड से राजस्थान के जल के हिस्से का उपयोग करते हुए, राजस्थान नें तकनीकी जांच के लिए केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को जनवरी, 2021 में भूमिगत कन्वेअन्स योजना और इसके उपयोग द्वारा राजस्थान के चुरू और झुनझुनू जिलों में तेजावाला (हथनीकुंड़) हेडवर्क से राजस्थान के हिस्से का यमुना के जल का अंतरण का एक संशोधित डीपीआर प्रस्तुत किया था।

हरियाणा सरकार ने अक्टूबर, 2020 के दौरान और बाद में अक्टूबर, 2021 में इस प्रस्ताव पर अवलोकन प्रस्तुत किया है और अन्य विकल्पों का सुझाव दिया, जिससे राजस्थान राज्य सहमत नहीं है। अध्यक्ष, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) ने इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए हरियाणा और राजस्थान के साथ मार्च, 2022 में एक बैठक आयोजित की और तेजेवाला और ओखला में जल की उपलब्धता की जांच करने और हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों और केन्द्रीय जल आयोग से सदस्यों के साथ सदस्य सचिव, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की अध्यक्षता के अंतर्गत विभिन्न बिन्दुओं (हथनीकुंड़, मावी और ओखला) से राजस्थान के हिस्से का जल ले जाने की व्यवहार्यता हेतु एक तकनीकी समीति का गठन किया गया था।

(ग) से (ङ): इस मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई भी प्रस्ताव शुरू नहीं किया गया है।

*****